(377)

60

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर, दिनांक: 20 NOV 2012

स्पष्टीकरण आदेश

विभागीय समसंख्यक आवंटन नीति दिनांक 19.4.2011 द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में जारी आवंटन नीति में शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, प्रोफेशनल संस्थाओं के लिए तथा प्रीमियम संस्थाओं को आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय को अधिकृत किया गया था।

तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.8.2012 द्वारा न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय के स्तर पर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं को आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था, के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि "आवासन मण्डल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को संस्थानिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की जावेगी मगर आवंटन करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. संभागीय आयुक्त (समस्त)।
6. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, समस्त ....।
9. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/संबंधित अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास..........................(समस्त)।
13. रक्षित पत्रावली।

20/11/2012

(एन0एल0मीना)
उप शासन सचिव-तृतीय

(160)

Goyal Hemendra/UDH/Order/2011